न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 139 / 2025 निर्णय दिनांक :–12.12.2025

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

पर्वत पुत्र गोकुल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. गोकुल पुत्र चतुर्भुज उर्फ भज्जा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़
2. जयकिशन पुत्र चतुर्भुज उर्फ भज्जा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़
3. इन्द्रा पुत्री गोकुल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. रामसिंह पुत्र गोकुल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. आत्माराम पुत्र गोकुल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. दुर्गालाल पुत्र गोकुल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
8. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0
9. उप पंजीयन महोदय, देवली जिला टोंक राज0
10. पंजाब नेशनल बैंक देवली।

–प्रतिपक्षीगण–

उपस्थितिः–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थी

श्रीमती यामिनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता अप्राथी संख्या 4 ता 6
श्री पारस चंद जैन अधिवक्ता अप्राथी सं0 10
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 2 ता 3, 7 ता 9

दावा घोषणा खातेदारी, दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्तें निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1679 मिन रकबा 3 बीघा 5 बीस्वा वाके ग्राम सावंतगढ़ पटवार हल्का सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित थी जिसका खातेदार काश्तकार चजुर्भुज उर्फ भज्जा पुत्र देवीलाल बलाई था। चतुर्भुज उर्फ भज्जा पुत्र देवीलाल बलाई की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसके वारिसान प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 6 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

Ruler

चजुर्भुज उर्फ भज्जा पुत्र देवीलाल(मृतक)

गोकुल
पुत्र

जयकिश
पुत्र

रामसिंह पुत्र | आत्माराम पुत्र | दुर्गालाल पुत्र | पर्वत पुत्र | इन्द्रा पुत्री

सेटलमेंट के बाद उक्त वर्णित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 1679 मिन के हाल खसरा नम्बर 1663 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 1664 रकबा 0.30 है0 बना दिये उसके पश्चात दांता ढाणी के राजस्व ग्राम बन जाने के कारण इनके नये खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 बना दिये गये है। प्रतिपक्षी संख्या 1 अत्यंत वृद्ध व्यक्ति होने से प्रतिपक्षी संख्या 1 ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि को आपने चारो पुत्रो प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 6 को बराबर–बराबर हिस्सा करके अपनी जमीन का कब्जा संभला दिया था। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रतीपक्षी संख्या 1 ता 6 की पुश्तेनी आराजीयात है जिससे प्रार्थी का भी 1/12 हिस्सा एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 व 3 ता 6 का प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा है। प्रतिपक्षी संख्या 1 बहुत ही वृद्ध एवं अनपढ़ व्यक्ति है। प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 6 ने आपस मे साजिश रचकर तथा अपने पिता के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उनको केसीसी ऋण दिलाने के बहाने देवली लाकर प्रतिपक्षी संख्या 1 के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि की गिफ्टडीड दिनांक 23.06.2021 को प्रतिपक्षी संख्या 6 के हक में पंजीयन करवा ली तथा इस गिफ्टडीड के आधार पर प्रतिपक्षी संख्या 6 के नामांतकरण संख्या 1293 दिनांक 03.08.2021 को तस्दीक करवा लिया गया है। इस गिफ्टडीड पर प्रतिपक्षी संख्या 5 ने बतोर गवाह अपने हस्ताक्षर किये है। उक्त गिफ्टडीड व नामांतकरण प्रार्थी के हितो के प्रतिकूल है। उक्त गिफ्टडीड, नामांतकरण, जमाबंदी का अंकन नुमाईशी एवं प्रारम्भतः ही अवैध एवं शून्य है, ऐसे अन्तरण से प्रतिपक्षी संख्या 6 को कोई विधिक अधिकार व हक पैदा नही होते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में 1/12 हिस्सा है तथा अपने हिस्से की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है तथा कृषि कार्य कर अपना एवं अपने परिवार का पालना पोषण करता है। प्रतिपक्षी संख्या 4 व 6 आये दिन प्रार्थी के 1/12 हिस्से के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग के मजामहत करत है, फसल को कुएं से सिचिंत करने में बाधा पहुँचाते है तथा राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम का गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को अन्य के हक मे रहन, दान, बेचान करने की धमकी देते है। ऐसी स्थिति मे प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 6 को उनके द्वारा किये जा रहे उक्त अवैध कृत्य से रोका जाना नितान्त आवश्यक है जिसके लिये प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नोकर चाकर के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी के 1/12 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नही करें। प्रार्थी को भूमि से बेदखल नही करें तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि की हद तक प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहत नही करें। प्रार्थी के हिस्से की भूमि की हद तक प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी भूमि को अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत व खुर्द बुर्द नही करें तथा प्रतिपक्षी संख्या 8 व 9 को भी पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह उक्त आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त आशय से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगा तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह से संभव नही होगा तथा मुकदमे बाजी बढ़ेगी तथा प्रति. सं. 10 के यहा जमीन रहन होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मे प्रतिपक्षी

Ruby

ख्या 2 को सहखातेदार होने एवं प्रतिपक्षीया संख्या 3 को हिस्सा होने से पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ किसी तरह की रिलिफ नही चाही गई है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नोकर चाकर के वाद वर्णित आराजीयात हाल मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी हाल खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.7300 है0 वाके ग्राम सावंतगढ़ पटवार हल्का सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 में प्रार्थी के 1/12 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, प्रार्थी को भूमि से बेदखल नही करे तथा प्रार्थी के हिस्से की हद तक प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहत नही करें, प्रार्थी के हिस्से की भूमि की हद तक वाद वर्णित आराजी भूमि को अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत व खुर्द बुर्द नही करें तथा प्रतिपक्षी संख्या 8 व 9 को भी पाबंद किया जावे कि वह उक्त आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेत प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निम्न प्रकार से जवाब पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 स्वीकार है। प्रतिपक्षी संख्या 1 बहुत ही वृद्ध एवं अनपढ़ व्यक्ति है। प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 6 ने आपस मे साजिश रचकर तथा मुझ प्रतिपक्षी संख्या 1 केसीसी ऋण दिलाने के बहाने देवली लाकर मुझ प्रतिपक्षी संख्या 1 के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि गिफ्टडीड दिनांक 23.06.2021 को प्रतिपक्षी संख्या 6 के हक में पंजीयन करवा लिया तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिपक्षी संख्या 6 के हक में नामांतकरण संख्या 1293 दिनांक 03.08.2021 को तस्दीक करवा लिया गया। इस गिफ्टडीड पर प्रतिपक्षी संख्या 5 ने बतोर गवाह अपने हस्ताक्षर किये है। उक्त गिफ्टडीड, नामांतकरण, जमाबंदी का अंकन नुमाईशी एवं प्रारम्भतः ही अवैध एवं शून्य है तथा ऐसे अन्तरण से प्रतिपक्षी संख्या 6 को कोई विधिक अधिकार व हक पेदा नही होते है। मुझ प्रतिपक्ष संख्या 1 ने प्रतिपक्षी संख्या 6 के हक में अपनी भूमि की गिफ्टडीड नही की है। ऐसी स्थिति मे उक्त गिफ्टडीड व नामांतकरण को शून्य घोषित किया जाने तथा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे 1/12 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाने में मुझ प्रतिपक्षी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 10 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। **अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इसमे मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है।**

प्रतिपक्षगण नम्बर संख्या 4, 5 व 6 की ओर से जवाब प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र निम्न प्रकार पेश है :– प्रार्थना पत्र का चरण 1 गलत है और स्वीकार नही है। उक्त प्रकरण मे वर्णित भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रतिपक्षीगण नम्बर 6 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जरिये दान पत्र के प्राप्त हुयी भूमि है, जिससे प्रार्थी का व प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 3 का कोई लेना देना नही है। प्रार्थी को सफलता की कोई सम्भावना नही है। प्रथम दृष्टिया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है, अपितु प्रतिक्षपी 6 दुर्गालाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि होने से प्रकरण प्रतिपक्षीगण संख्या 6 के पक्ष में प्रबल होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का चरण 2

Ruby

। पहली पंक्ति में साबिका खसरा नंबर की जानकारी नही होने से स्वीकार नही है। उक्त भूमि प्रपिक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज होना व उनका 1/2, 1/2 हिस्सा पूर्व में दर्ज होना स्वीकार है। प्रतिपक्षीगण नंबर 2 जयकिशन व प्रतिपक्षीगण नंबर 6 दुर्गालाल की संयुक्त खातेदारी एवं खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि हाल खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30है0 भूमि ग्राम सावंतगढ़ तहसील देवली में स्थित है। उक्त भूमि से प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 1 व 3 का कोई लेना–देना नही है। प्रार्थना पत्र के का चरण 3 में वर्णित पारिवारिक सजरा जिस तरह से वर्णित किया है, आंशिक रूप से स्वीकार है। मृतक चतुर्भुज के दो पुत्र गोकुल व जयकिशन स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 गोकुल ने उनके जीवन काल मे ही प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम सावंतगढ़ में स्थित भूमि मे से 1/2 हिस्से भूमि को प्रतिपक्षी संख्या 1 ने प्रतिपक्षी संख्या 6 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दी है तभी से उक्त आराजीयात भूमि के 1/2 हिस्से प्रतिपक्षीगण 6 का तथा 1/2 हिस्से मे प्रतिपक्षी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है, उक्त भूमि से प्रतिपक्षी संख्या 1 का अब किसी प्रकार कोई हिस्सा शेष नही रहा है। उक्त भूमि से प्रार्थी व प्रतिपक्षी 1 व 3 का अब कोई वास्ता नही रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह से वर्णित किया है, पुराने नंबरो की जानकारी नहीं होने से स्वीकार नही है तथा ग्राम दांताढाणी के राजस्व ग्राम बन जाने के कारण ग्राम सांवतगढ़ के हाल खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.73 है0 बने है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने अपने जीवन काल मे ही उसके सम्पूर्ण हिस्से की भूमि जो ग्राम सांवतगढ़ मे स्थित है, को प्रतिपक्षी संख्या 6 दुर्गालाल के नाम दिनांक 23.6.2021 को दान पत्र समक्ष गवाहन के निष्पादित करवा कर पंजीयन करवा दिया गया था तभी से प्रतिपक्षी संख्या 6 का खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.73 है0 में से 1/2 हिस्से की भूमि काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है। ग्राम सांवतगढ़ में ही प्रतिपक्षी संख्या 1 गोकल की अलग खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.55 है0 जो वाके ग्राम सांवतगढ़ तहसील देवली मे स्थित है, के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का विक्रय का पंजीयन वर्ष 2021 मे उक्त प्रकरण के प्रार्थी पर्वत ने उसकी पत्नि समिला के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के पंजीयन करवा लिये जाने से उक्त भूमि वर्तमान मे समिला पत्नि पर्वत बलाई निवासी रतनपुरा पोस्ट सांवतगढ़ की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है, इस प्रकार प्रतिपक्षी नम्बर 1 का अब किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं रहा है। प्रार्थी पर्वत का खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.55 है0 भूमि जो वाके ग्राम सांवतगढ मे ही कब्जा काश्त है। प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.73 है0 में से 1/2 हिस्से की भूमि से प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हिस्सा नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है और स्वीकार नही है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने जीते जी ही उसके जीवन काल में ही प्रतिपक्षी संख्या 6 दुर्गालाल के हक में खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 0.73 है0 में से 1/2 हिस्से की भूमि का दान पत्र सब रजिस्ट्रार कार्यालय देवली मे स्वेच्छापूर्वक उपस्थित होकर प्रतिपक्षी संख्या 6 के हक में दान पत्र का पंजीयन कराया है, जिसका नामांतकरण भी प्रतिपक्षी संख्या 6 के हक में भरा जा चुका है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी का अंकन भी हो चुका है। प्रतिपक्षी संख्या 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है, ओर स्वीकार

Ruby

ीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 गोकुल, प्रतिपक्षी संख्या 4, 5 व 6 के पिता है, ओर उन्होने अपने जीते जी ही अपनी खातेदारी की भूमि प्रार्थी की पत्नि समिला व प्रतिपक्षी संख्या 4 रामसिंह की पत्नि नरेश देवी व प्रतिपक्षी संख्या 5 आत्माराम की पत्नि धर्मा देवी के हक में स्वेच्छापूर्वक सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन कराया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 गोकुल ने आराजी खसरा नंबर 652 रकबा 104 है0 व खसरा नंबर 653 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह ग्राम उथना मे स्थित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का पंजीयन दिनांक 4.2.2021 को प्रतिपक्षी 4 की पत्नि नरेश देवी व प्रतिपक्षी संख्या 5 की पत्नि धर्मा देवी के हक मे विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया था जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 1 का कोई हिस्सा शेष नही रहा। इसी प्रकार प्रतिपक्षी संख्या 2 जयकिशन पुत्र चतुर्भुज बलाई ने आराजी खसरा नंबर 652 रकबा 1.04 है0 व खसरा नंबर 653 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह ग्राम उथरणा मे स्थित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 27.4.2009 को प्रतिपक्षी संख्या 4 की पत्नि नरेश देवी को उक्त भूमि विक्रय किया गया था, इसलिए ग्राम उथरणा की सम्पूर्ण आराजी मे प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दान पत्र को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। तथा भरे गये नामान्तकरण की अपील भी नही की गयी रजिस्टर्ड दस्तावेज किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किये गये। प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने व तथकथित आराजीयात भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण प्रार्थी गलत एवं निराधार तथ्यों के आधार पर किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है, ओर स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात भूमि हाल खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 0.73 है0 में से 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रतिपक्षी संख्या 6 दुर्गालाल का कब्जा काश्त है, तथा शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिपक्षी संख्या 2 जयकिशन का कब्जा काश्त है व उक्त भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त व हिस्सा नही है। प्रार्थना पत्र में झुठे तथ्य वर्णित किये है। प्रार्थी न्यायालय मे स्वच्छ हाथों नही आया है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9 जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है, ओर स्वीकार स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 6 को सावंतगढ़ में स्थित भूमि जरिये दान पत्र प्रतिपक्षी संख्या 1 से प्राप्त हुंयी है। प्रतिपक्षी संख्या 6 का खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 0.73 है0 में से 1/2 हिस्से की भूमि खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर प्रतिपक्षी संख्या 6 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है, तो उसके उपयोग–उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता तथा उक्त ग्राम सांवतगढ़ की भूमि में जब गै0 मु0चाह ही नही तो सिचिंत करने में बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिपक्षी संख्या 6 व प्रतिपक्षी संख्या 2 जयकिशन की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 6 का 1/2 हिस्से की भूमि खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त भूमि से प्रार्थी का कोई लेना–देना व संबंध नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 6 अपने 1/2 हिस्से की अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त आराजीयात भूमि को हर प्रकार से रहन, बेचान, दान, वसियत इत्यादि से हस्तान्तरण करने का अधिकार है। प्रार्थी प्रतिपक्षीगण को पाबंद करने अधिकार नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बेसलेश होने से प्रथम दृष्टिया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 10 में प्रतिपक्षी संख्या 2 सह खातेदार होना स्वीकर है, शेष तथ्य गलत है, ओर स्वीकार नहीं है। प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 3 का किसी प्रकार का कोई हिस्सा व कब्जा उक्त आराजीयात भूमि में नही है। अतः प्रतिपक्षीगण नम्बर 4, 5 व 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

Ruby

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो का ही दोहरान किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का ही दोहरान किया।

अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का ही दोहरान किया।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं 7 ता 9 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 10 को उक्त वर्णित आराजीयात यहां रहन होने से फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। रजि0 दान पत्र दिनांक 23.06.2021 जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 में अंकित खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सावंतगढ़ पटवार हल्का सावंतगढ़ तहसील देवली में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रतीपक्षी संख्या 1 ता 6 की पुश्तेनी आराजीयात है जिससे प्रार्थी का भी 1/12 हिस्सा होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में इकबालिया जवाब पेश करने से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है जिससे अप्रार्थीगण 4 ता 6 को जरिये निषेधाज्ञा से मूलवाद तक पाबंद करना उचित प्रतीत होता है। अतः खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.43 है0 एवं खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम सावंतगढ़ पटवार हल्का सावंतगढ़ तहसील देवली में प्रतिवादीगण 4 ता 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद तक पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट नौकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के 1/12 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नही करें। प्रार्थी को भूमि से बेदखल नही करें तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि की हद तक प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहत नही करें। प्रार्थी के 1/12 हिस्से की भूमि की हद तक प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी भूमि को अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत व खुर्द बुर्द नही करें या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण नही करे। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद तक पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजीयात बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो पंजीयन नही करे राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)